

प्ररूप 18

[नियम 52 (2) देखिए]

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

..... निर्वाचन-क्षेत्र से..... के लिए निर्वाचन ।

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर

में..... * जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ/.....

का, जो ऊपरवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूँ..... पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्वारा अपने गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूँ ।

गणन अभिकर्ता का नाम

गणन अभिकर्ता का पता

1.

2.

3.

आदि

*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं ।

1.

2.

3.

आदि

स्थान.....

तारीख.....

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा
(रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हम ऊपरवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 128¹ द्वारा जिसे हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध है कोई बात न करेंगे ।

1.

2.

3.

आदि

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

* जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 :-

“128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना—(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।” ।